केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर–बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौरोजी नगर, नई दिल्ली – 110029

याचिका सं. 486/टीएल/2024 दिनांक : 27.2.2025

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 द्वारा "400/200 केवी, 1x500 एमवीए आईसीटी (5वां) द्वारा 400/220 केवी फतेहगढ़-III पीएस (सेक्शन-I) पर रूपांतरण क्षमता का संवर्द्धन" (जिसे इसके पश्चात "पारेषण योजना/परियोजना" कहा गया है) पारेषण परियोजना को शामिल करने के लिए पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड को प्रदान की गई मौजूदा आरटीएम पारेषण अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए मौजूदा आरटीएम पारेषण अनुज्ञप्ति संशोधित की जा रही है, निम्नानुसार है:

400/200 केवी, 1x500 एमवीए आईसीटी (5वां) द्वारा 400/220 केवी फतेहगढ़-III पीएस (सेक्शन-I) पर रूपांतरण क्षमता का संवर्द्धन:

क्रम सं.	पारेषण योजना का कार्य–क्षेत्र	क्षमता/किलोमीटर	कार्यान्वयन की समय–सीमा
1	संबद्ध ट्रांसफार्मर बे सहित फतेहगढ़-III पीएस (सेक्शन-I पर 5वां आईसीटी) पर ट्रांसफार्मर सहित संवर्द्धन * 1 नं. 400 केवी (एआईएस) (संबद्ध टाई बे सहित) और 220 केवी (एआईएस) ट्रांसफार्मर बे का 1 नं.	• 500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी – 1 नं. • 400 केवी आईसीटी बे (एआईएस) (संबद्ध टाई बे सहित) – 1 नं. • 220 केवी (एआईएस) आईसीटी बे – 1 नं.	सीटीयूआईएल द्वारा ओएम के जारी होने की तारीख से 18 मास
कुल अनुमानित लागत:			रु.58.18 करोड़

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 7.11.2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका स. 486/टीएल/2024 में दिनांक **26.2.2025** के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. **पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड** को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **11.3.2025** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक **13.3.2025** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव